फॉर्म संख्या 7

FORM No.7

गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिहस्तांतरण पत्र का प्ररुप

Form of Reconveyance for House Building Advance नियम 8 (घ) देखें)

[vide Rule 8 (d)]

यह प्रतिहस्तांतरण विलेख एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपित (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है (और दूसरे पक्षकार के रूप में और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (भारत सरकार) के (जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके (विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख को किया गया है।

एक पक्षकार के रूप में बंधककर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधकदार के बीच तारीख को किए गए बंधक करार द्वारा जो में पुस्तक संख्या जिल्द संख्या से तक में संख्या के रूप में के लिए रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे मूल – करार कहा गया है) बंधककर्ता में स्थित संपत्ति को, जिसका अधिक और विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया गया है, बंधककर्ता द्वारा बंधककर्ता को किए गए रूपए के अग्रिम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक करार द्वारा बंधक कर दिया है।

मूल करार की प्रतिभूति पर शोध्य और देय सब धन का पूरा संदाय कर दिया गया है और तद्नुसार, बंधनकर्ता के अनुरोध पर बंधकदार इसमें इसके आगे अंतर्विष्ट रूप में बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और उपर्युक्त के प्रतिफलस्वरूप बंधकदार में स्थित उक्त संपूर्ण भू-खंड का, जो मूल करार में समाविष्ट है और जिसका विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उसके उन अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो मूल करार में उल्लिखित हैं तथा मूल करार के आधार पर उक्त परिसर में, उसमें से या उस प्रतिहस्तांतरण की सभी संपदा, अधिकार हक, हित संपत्ति, दावे और मांग का इसके द्वारा बंधककर्ता को अनुदान; समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है। इसके द्वारा बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना अभिव्यक्त है, उसे बंधककर्ता उक्त मूल करार द्वारा प्रतिभूत किए जाने के लिए आशयित सी धन और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिए या इसके संबंध में अथवा मूल करार के या परिसर की बाबत किसी चीज के संबंध में सभी अनुयोजनों, वादों, लेखाओं, दावों और मांगों से निर्मुक्त रूप से प्राप्त और धारण करेगा। बंधकदार इसके द्वारा बंधककर्ता से प्रसंविदा करता है कि उसने (बंधकदार ने) न तो ऐसी कोई बात की है, न जान बूझकर सहन की है, और न उसमें पक्षकार या संसर्गी रहा है जिसस उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक, संपदा की बाबत या अन्यथा अधिक्षिप्त, विल्लंगिमित या प्रभावित होता है या किया जा सकता है। इसके साक्ष्यस्वरूप बंधकदार ने अपनी ओर से कु...................... द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को हस्ताक्षर करवा दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है SCHEDULE ABOVE REFERRED TO बंधकदार भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से नेSigned by for and on behalf of the Morgagee President of India (हस्ताक्षर) Signature) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (For and on behalf of the President of India) की उपस्थिति में: In the presence of: (1)(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)(साक्षी के हस्ताक्षर) 1stwitness Address Occupation (2)(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। 2nd witness Address Occupation